राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 4(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./2006 पार्ट जयपुर, दिनांक : 07-04-2015

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः–विभिन्न संवर्गों एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में।

सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता संबंधी प्रावधान समाहित किया हुआ है। किसी भी पद/संवर्ग में पदोन्नति करने से पूर्व अन्तरिम/अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना आवश्यक है।

चूंकि अब नया वित्तीय वर्ष 2015–16 एक अप्रैल से प्रारम्भ हो चुका है। अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि एक अप्रैल की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां अतिशीघ्र तैयार कर जारी करें, ताकि वर्ष 2015–16 की विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की जाकर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

12/2015